JALAUN POLICE

दिनांक –27.03.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में 01 अभियुक्त को मान0 न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कारावास एवं 70,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– आरोपी छोटू उर्फ राजू पुत्र जगदीश निवासी कस्बा व थाना कोतवाली कालपी जनपद जालौन द्वारा नाबालिग लड़की को बहलाफुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी जिसके संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 05.07.2020 को कोतवाली उरई पर मु0अ0सं0 478/20 (वाद संख्या 29/20) धारा-363/366/376(3) भादवि व ¾(2) पॉस्को एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। दिनांक 10.07.2020 को आरोपी छोटू उर्फ राजू उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 13.08.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 27.03.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त छोटू उर्फ राजू उपरोक्त को दोषी पाते हुये 20 वर्ष का कारावास एवं 70,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड की धनराशि में से 30,000/- रूपये पीड़िता को प्रतिकर स्वरुप प्रदान किया जायेगा।